GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *175
TO BE ANSWERED ON 22ND DECEMBER, 2022

UNEMPLOYMENT RATE

***175 DR. ASHOK KUMAR MITTAL:**

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the recent unemployment rate in the country and yearly average unemployment rate during the last three years;

(b) the steps taken by Government to curb unemployment;

(c) whether Government has a plan to give unemployment benefit/wage to youths of the nation, if not, the reasons therefor; and

(d) recent State-wise data of unemployment and steps taken by Government to curb unemployment in the State of Punjab?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

**

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *175 DUE FOR REPLY ON 22.12.2022 BY DR. ASHOK KUMAR MITTAL REGARDING "UNEMPLOYMENT RATE"

(a) to (d): The data on Employment and Unemployment is collected through Periodic Labour Force Survey (PLFS) conducted by the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) since 2017-18. The survey period is July to June of the next year. As per the latest available Annual PLFS reports, the estimated Unemployment Rate (UR) on usual status for persons of age 15 years and above was 5.8%, 4.8% and 4.2% during 2018-19, 2019-20 and 2020-21, respectively, which shows that the unemployment rate in the country has declining trend.

The State/UT-wise estimated Unemployment Rate (UR) on usual status for persons of age 15 years & above during 2018-19 to 2020-21 are at Annexure.

There is no proposal of unemployment benefit/wage to youths under consideration of this Ministry. However, the employees covered under Employees' State Insurance (ESI) Scheme are entitled to unemployment allowance. ESI Corporation started Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana (RGSKY) w.e.f. April 1, 2005 with an intent to provide Unemployment Allowance, medical care as well as vocational rehabilitation to its insured persons who became unemployed involuntarily on account of closure of factory/establishment, retrenchment or permanent invalidity of not less than 40% arising out of non-employment injury. Two years unemployment allowance is provided as 50% of wages during 0-12 months and 25% of wages during 13-24 months as per the eligibility criteria.

Employment generation coupled with improving employability is the priority of the Government. Accordingly, the Government of India has taken various steps for generating employment in the country. The Government of India has announced Aatmanirbhar Bharat package to provide stimulus to business and to mitigate the adverse impact of Covid-19. Under this package, the Government is providing fiscal stimulus of more than Rupees Twenty Seven lakh crore. This package comprises of various long term schemes/programmes/policies for making the country self-reliant and to create employment opportunities.

The Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) was launched with effect from 1st October, 2020 to incentivize employers for creation of new employment and restoration of loss of employment during Covid-19 pandemic. The terminal date for registration of beneficiaries was 31.03.2022. Since inception of the scheme, till 28.11.2022, benefits of Rs. 7855.07 Crore have been provided to 60.13 lakhs beneficiaries under the scheme. In Punjab, benefits of Rs. 273.01 Crore have been provided to 1.7 lakhs beneficiaries under the scheme till 28.11.2022.

Government is implementing Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi Scheme) since June 01, 2020 to facilitate collateral free working capital loan to street vendors to restart their businesses, which were adversely impacted during the Covid-19 pandemic. As on 02.12.2022, 37.68 lakh loans amounting to Rs. 4,378 Crore have been disbursed under the scheme. In Punjab, 47.2 thousands loans have been disbursed under the scheme as on 02.12.2022.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) was launched by the Government for facilitating self-employment. Under PMMY, collateral free loans upto Rs. 10 lakh, are extended to micro/small business enterprises and to individuals to enable them to setup or expand their business activities. Upto 25.11.2022, an amount of Rs 15.56 lakh crore was disbursed in 37.76 crore loan accounts sanctioned under the scheme. In Punjab, an amount of Rs. 5,454.31 crore was disbursed in 6.23 lakh loan accounts sanctioned during 2022-23 (till 25.11.2022) under the scheme.

The Production Linked Incentive (PLI) schemes is being implemented by the Government with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore, for a period of 5 years starting from 2021-22 which have potential for creating 60 lakh new jobs. All these initiatives are expected to collectively generate employment in the medium to long term through multiplier-effects.

PM GatiShakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by seven engines, namely, Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways and Logistics Infrastructure. This approach is powered by Clean Energy and Sabka Prayas leading to huge job and entrepreneurial opportunities for all.

The Government of India is encouraging various projects involving substantial investment and public expenditure on schemes like Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) and Deen Dayal Antodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) etc. for employment generation.

Besides these initiatives, various flagship programmes of the Government such as Make in India, Start-up India, Stand-up India, Digital India, Housing for All etc. are also oriented towards generating employment opportunities.

*****

Annexure

Annexure referred to in reply of part (a) to (d) of the Rajya Sabha Starred Question No. *175 due for reply on 22.12.2022

State/UT-wise details of Unemployment Rate (UR) on usual status for persons of age 15 years and above for the period 2018-19 to 2020-21

S. No.	States/UTs	2018-19	2019-20	2020-21
1	Andhra Pradesh	5.3	4.7	4.1
2	Arunachal Pradesh	7.7	6.7	5.7
3	Assam	6.7	7.9	4.1
4	Bihar	9.8	5.1	4.6
5	Chhattisgarh	2.4	3.3	2.5
6	Delhi	10.4	8.6	6.3
7	Goa	8.7	8.1	10.5
8	Gujarat	3.2	2.0	2.2
9	Haryana	9.3	6.4	6.3
10	Himachal Pradesh	5.1	3.7	3.3
11	Jharkhand	5.2	4.2	3.1
12	Karnataka	3.6	4.2	2.7
13	Kerala	9.0	10	10.1
14	Madhya Pradesh	3.5	3.0	1.9
15	Maharashtra	5.0	3.2	3.7
16	Manipur	9.4	9.5	5.6
17	Meghalaya	2.7	2.7	1.7
18	Mizoram	7.0	5.7	3.5
19	Nagaland	17.4	25.7	19.2
20	Odisha	7.0	6.2	5.3
21	Punjab	7.4	7.3	6.2
22	Rajasthan	5.7	4.5	4.7
23	Sikkim	3.1	2.2	1.1
24	Tamil Nadu	6.6	5.3	5.2
25	Telangana	8.3	7.0	4.9
26	Tripura	10.0	3.2	3.2
27	Uttarakhand	8.9	7.1	6.9
28	Uttar Pradesh	5.7	4.4	4.2
29	West Bengal	3.8	4.6	3.5
30	Andaman & N. Island	13.5	12.6	9.1
31	Chandigarh	7.3	6.3	7.1
32	Dadra & Nagar Haveli	1.5	3.0	4.2
33	Daman & Diu	0	2.9	
34	Jammu & Kashmir	5.1	6.7	5.9
35	Ladakh	-	0.1	2.9
36	Lakshadweep	31.6	13.7	13.4
37	Puducherry	8.3	7.6	6.7
	All India	5.8	4.8	4.2

Source: PLFS, MoSPI

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *175
गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

बेरोजगारी दर

***175. डा. अशोक कुमार मित्तलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी की वार्षिक औसत दर क्या रही है;

(ख) सरकार द्वारा बेरोजगारी की नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की देश के युवाओं को बेरोजगारी लाभ/भत्ता देने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बेरोजगारी के नवीन राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और सरकार द्वारा पंजाब राज्य में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
**

“बेरोजगारी दर” के संबंध में डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 22 -12-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *175 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े वर्ष **2017-18** से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष **15** वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.8%, 4.8% एवं **4.2%** थी जो कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष **15** वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

युवाओं को बेरोजगारी लाभ/भत्ता देने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हैं। ईएसआई निगम ने अपने बीमित व्यक्तियों को जो फैक्ट्री/प्रतिष्ठान बंद होने, छटनी या बेरोजगारी से उत्पन्न चोट के कारण 40% और इससे अधिक होने वाली स्थायी अशक्तता के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हो गए थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सीय देखभाल के साथ-साथ व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) की शुरुआत की गई थी। पात्रता मानदंड के अनुसार, दो साल का बेरोजगारी भत्ता 0-12 महीने के दौरान वेतन का 50% और 13-24 महीने के दौरान वेतन का 25% के रूप में प्रदान किया जाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत दिनांक 28.11.2022 तक पंजाब में, 1.7 लाख लाभार्थियों को 273.01 करोड़ रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत पंजाब में, 47.2 हजार ऋण वितरित किए गए हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए। पंजाब में, इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान (दिनांक 25.11.2022 तक) स्वीकृत **6.23** लाख ऋण खातों में 5,454.31 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर **5** वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 22.12.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *175 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	5.3	4.7	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	7.7	6.7	5.7
3	असम	6.7	7.9	4.1
4	बिहार	9.8	5.1	4.6
5	छत्तीसगढ	2.4	3.3	2.5
6	दिल्ली	10.4	8.6	6.3
7	गोवा	8.7	8.1	10.5
8	गुजरात	3.2	2.0	2.2
9	हरियाणा	9.3	6.4	6.3
10	हिमाचल प्रदेश	5.1	3.7	3.3
11	झारखंड	5.2	4.2	3.1
12	कर्नाटक	3.6	4.2	2.7
13	केरल	9.0	10	10.1
14	मध्य प्रदेश	3.5	3.0	1.9
15	महाराष्ट्र	5.0	3.2	3.7
16	मणिपुर	9.4	9.5	5.6
17	मेघालय	2.7	2.7	1.7
18	मिजोरम	7.0	5.7	3.5
19	नागालैंड	17.4	25.7	19.2
20	ओडिशा	7.0	6.2	5.3
21	पंजाब	7.4	7.3	6.2
22	राजस्थान	5.7	4.5	4.7
23	सिक्किम	3.1	2.2	1.1
24	तमिलनाडु	6.6	5.3	5.2
25	तेलंगाना	8.3	7.0	4.9
26	त्रिपुरा	10.0	3.2	3.2
27	उत्तराखंड	8.9	7.1	6.9
28	उत्तर प्रदेश	5.7	4.4	4.2
29	पश्चिम बंगाल	3.8	4.6	3.5
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.5	12.6	9.1
31	चंडीगढ़	7.3	6.3	7.1
32	दादरा और नगर हवेली	1.5	3.0	4.2
33	दमन और दीव	0	2.9	
34	जम्मू और कश्मीर	5.1	6.7	5.9
35	लद्दाख	-	0.1	2.9
36	लक्षद्वीप	31.6	13.7	13.4
37	पुडुचेरी	8.3	7.6	6.7
	अखिल भारत	**5.8**	**4.8**	**4.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

डा. अशोक कुमार मित्तल : माननीय सभापति जी, आपने मुझे सप्लीमेंटरी पूछने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। भारत सरकार के मुताबिक देश में रिकॉर्ड एफडीआई आ रहा है और हमारा देश दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाला बन रहा है।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में देश में सरकारी इदारों में, सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में कितनी नई नौकरियां पैदा हुई हैं?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, देश में रोजगार के सर्वे के लिए तीन माध्यम उपलब्ध हैं। सबसे पहले देश के सामान्य क्षेत्र में रोजगार के लिए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे है। पीरियॉडिक लेबर सर्वे हर तिमाही में होता है। उसके जो डेटा हैं, वे मैंने उत्तर में प्रस्तुत किए हैं, जो डेटा यह बताता है कि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में जो बेरोजगारी प्रतिशत है, वह 5.8, 4.8 और 4.2 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आ रही है।

दूसरा सर्वे भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। अब हम दो सर्वे करते हैं एक इंस्टिट्यूशन बेस्ड सर्वे और एक एरिया बेस्ड सर्वे। अब इंस्टिट्यूशन बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट आनी प्रारम्भ हो गई है। इंस्टिट्यूशन बेस्ड सर्वे की जो तिमाही रिपोर्ट आई है, वह यह बताती है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो 9 क्षेत्र हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ऐसे 9 क्षेत्रों में जो रोजगारों का सृजन हुआ है, वह उस रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है।

तीसरा, जो रजिस्टर्ड संस्थान हैं, उनका जो रोजगार है, वह पीएफओ के माध्यम से, जिनका प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से आता है, वह भी यह दर्शाता है कि देश में लगातार प्रोविडेंट फंड के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हो रही है।

डा. अशोक कुमार मित्तल : सभापति महोदय, सरकार द्वारा किए गए ऑल इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेश्यो के मुताबिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जो कि 1999 में 40 प्रतिशत था, वह अब कम होकर 25 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश की महिलाओं की स्थिति पहले से ज्यादा दयनीय होती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में सरकार महिलाओं के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी कोई योजना लाने पर विचार कर रही है, ताकि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें?

श्री भूपेन्द्र यादव : सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का अनुपालन किया जाता है और सबसे ज्यादा जो "मुद्रा योजना" है, उसके अंतर्गत ज्यादातर लोन महिलाओं को ही मिले हैं। इसके अतिरिक्त "प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना" और अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाने का काम किया जाता है। जहां तक महिलाओं के रोजगार का विषय है, सरकार उनके रोजगार, उनके कार्यबल को बढ़ाने के लिए पूरे

तरीके से प्रतिबद्ध है और जो नये लेबर कोड भी आए हैं, उनके वेतन की समानता, उनकी कार्य दिशा, उनके कार्य करने की रात्रि पाली में अनुमति, उन सब विषयों को सरकार ने पूरे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं।

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Sir, it is learnt that more than 16 lakh vacancies are there in various Government Departments and the public sector undertakings. This includes more than 4,900 IAS posts and more than 900 IPS posts, which is a very large number. Why is the Government delaying filling up of these vacancies at a time?

श्री भूपेन्द्र यादव : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस मामले पर सरकार के द्वारा पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी इस मामले को पूरे तरीके से देखती है। लेकिन, जैसा कि आपके संज्ञान के अंतर्गत यह बात है, तो मैं इस पर आपको यह बताना चाहता हूं कि नौजवानों को यह रोजगार प्रतिमाह लगातार दिया जा रहा है और हमने देखा है कि पिछले दो माह में देश के नौजवानों को लाखों रोजगार सरकारी क्षेत्र में भी दिए गए हैं। महोदय, सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया है, सरकार उसको निश्चित समय में पूरा कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No.176, Dr. Dharmasthala Veerendra Heggade; not present. Any Supplementaries?